डीजी परिपत्र संख्या- 10/2026

यक्ष परिपत्र संख्या- 06/2026

राजीव कृष्णा,

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश।

पुलिस भवन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

दिनांक- फरवरी 12 , 2026

प्राथमिकता – 1 **Zero Tolerance against Crime and Criminals**

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि **यक्ष ऐप** को **दिनांक 27.12.2025** को **माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश** द्वारा **पुलिस मंथन- 2025** के दौरान **लॉन्च** किया गया है। लॉन्च के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में **यक्ष कण्ट्रोल रूम** की स्थापना **अपराध शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश** में की गयी है। **यक्ष ऐप** के सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा **यक्ष परिपत्र संख्या- 01/ 2026** दिनांक **09.01.2026** को व **यक्ष ऐप** के प्रयोगार्थ **SOP/Booklet** को जारी की गयी है।

यक्ष ऐप का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में **बीट पुलिसिंग को तकनीक-सक्षम, डेटा-आधारित एवं परिणामोन्मुख** बनाना है। इसके अंतर्गत थानों की बीट व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए **"बीट के अपराधी की जिम्मेदारी बीट सिपाही के नाम"** के सिद्धांत पर प्रत्येक बीट कर्मी की स्पष्ट जवाबदेही तय की गई है। **Digital Beat System** के माध्यम से पारंपरिक बीट बुक को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे जघन्य या सनसनीखेज घटनाओं की स्थिति में उपलब्ध डेटाबेस से संभावित **अपराधियों का त्वरित चिन्हांकन**, उनकी अद्यतन स्थिति तथा संबंधित बीट कर्मी की जानकारी तत्काल प्राप्त हो सके।

यक्ष ऐप की प्रमुख विशेषताओं में **18 श्रेणियों में अपराधियों का वर्गीकरण, Real Time Tracking, Geo-fencing, Colour Coding, हिस्ट्रीशीटर/माफिया/वांछित अपराधियों की सतत निगरानी, AI आधारित Face, Voice, Text एवं Vehicle Search, Advanced Gang Analysis, CrimeGPT तथा Dashboard आधारित बहु-स्तरीय मॉनिटरिंग प्रणाली** शामिल है। इसके माध्यम से बीट कर्मी अपने क्षेत्र की **Geo-tagging, अपराध-पूर्व सूचनाओं का संप्रेषण, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन** सुनिश्चित करता है, जिससे अपराध की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उल्लेखनीय सहायता प्राप्त होती है।

यक्ष ऐप के Rollout की चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया प्रचलित है। जिसमें अब तक जनपदीय थानों पर निम्न कार्यवाही प्रचलित / पूर्ण की जा चुकी है-

1. दिनांक 01.02.2026 से 10.02.2026 तक **बीट स्तर Mobile App** पर
    a. **गांव/मोहल्लों की Geo Tagging**
    b. **बीट में पड़ने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/CCTV की Geo Tagging** की कार्यवाही की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में ही **यक्ष परिपत्र संख्या 02** जारी किया जा चुका है।
2. दिनांक 01.02.2026 से 10.02.2026 तक **थाना स्तर Web Dashboard** पर **अपराधी के गाँव/मोहल्ला सत्यापन** की कार्यवाही की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में **यक्ष परिपत्र संख्या 03** जारी किया जा चुका है।
3. दिनांक 03.02.2026 से **DCRB स्तर पर Web Dashboard का Access** प्रदान कर दिया गया है तथा DCRB स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में **यक्ष परिपत्र संख्या 04** जारी किया जा चुका है।
4. दिनांक 10.02.2026 से **थाना स्तर पर हिस्ट्रीशीटर के सम्बन्ध में** की जाने वाली कार्यवाही के एवं उसके पर्यवेक्षण हेतु क्षेत्राधिकारी स्तर पर Dashboard का Access प्रदान किया गया है, जिसके सम्बन्ध में **यक्ष परिपत्र संख्या 05** जारी किया जा चुका है।

यक्ष ऐप का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक अपराधी को उनके गांव/मोहल्ला Assign कराना है ताकि अपराधियों की बीट कर्मियों द्वारा Real Time निगरानी/सत्यापन सम्भव हो सके। GRP क्षेत्र में जो अपराधी अपराध करते हैं वे जनपदीय थाने के किसी न किसी बीट (गांव/मोहल्ला) में निवास करते है। परन्तु जीआरपी के थानो का क्षेत्र रेलवे तक ही सीमित होने के कारण GRP द्वारा अपराधियों की निगरानी/सत्यापन सम्भव नहीं हो पाता है। इस समस्या के निराकरण हेतु यक्ष ऐप में यह सुविधा प्रदान की गयी है कि GRP के अपराधियों के निवास के थाना, गांव/मोहल्ला की स्थिति अपडेट करने पर वह अपराधी स्वतः ही जनपदीय थाना के अपराधी की सूची एवं सम्बन्धित बीट कर्मी को सत्यापन हेतु प्रदर्शित होने लगेगा और उसकी निरन्तर निगरानी/सत्यापन सम्भव हो सकेगा।

इसी क्रम में **GRP थाना स्तर को Yaksh Web Dashboard / Mobile App दोनों पर Login की सुविधा प्रदान किया जा रहा है। थाना प्रभारी द्वारा URL- yaksh.ai को वेब ब्राउजर पर खोलते हुये CUG Number से OTP के माध्यम से Yaksh Web Dashboard पर Login करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-**

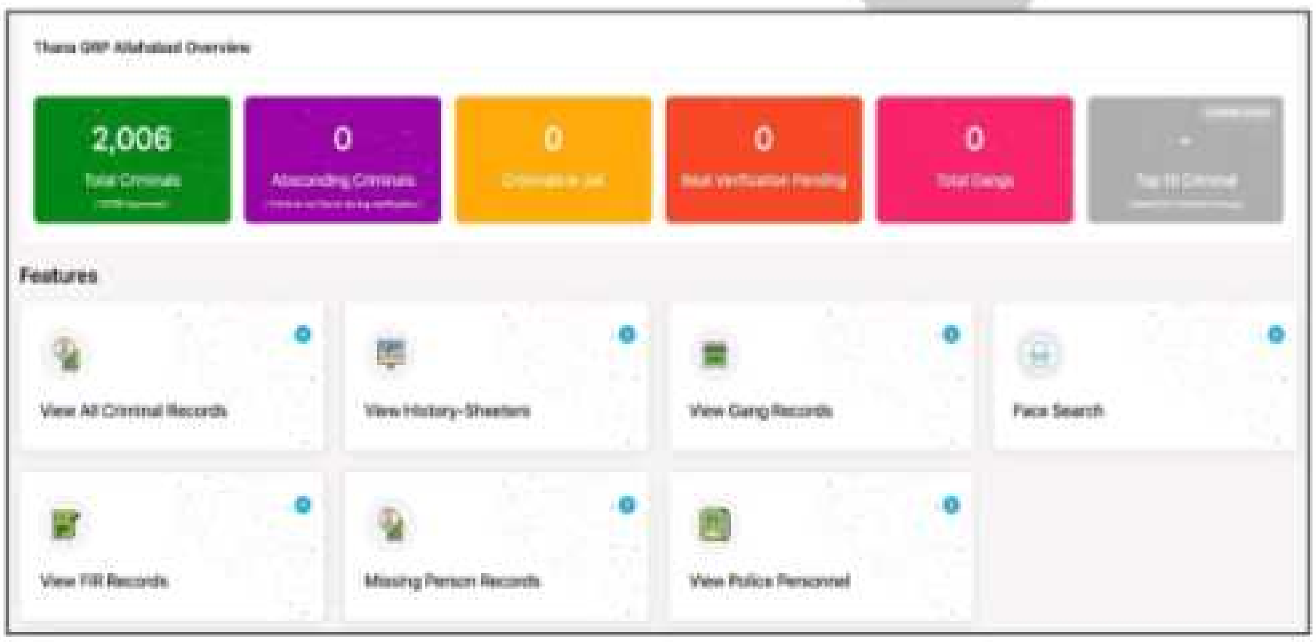

<u>**GRP थाना स्तर से की जाने वाली कार्यवाही**</u>

1- नये अपराधी को फीड करने के सम्बन्ध में कार्यवाही-

जीआरपी थाना से अपराधी फीड की जाने वाली कार्यवाही जनपदीय थाना के समान है। उक्त के सम्बन्ध में जैसे त्रिनेत्र 2.0 में अपराधी की फीडिंग की जाती थी उसी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

- ➢ अपराधी का रिकॉर्ड ऐप से ही बनाएँ जायेंगे। जब भी कोई अपराधी गिरफ्तार होता है तो ऐप में सर्वप्रथम **अपराधी रिकार्ड जोड़े** Icon पर Click करने के उपरान्त निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा-

- ➢ सर्वप्रथम, अपराधी का फोटो खींचकर अपलोड करें और उपलब्ध रिकॉर्ड से फोटो का Match करें। यदि मिलान हो जाए, तो प्रदर्शित हो रहे पुराने रिकॉर्ड में <u>**Adopt/अपनाये**</u> पर Click करेंगे।

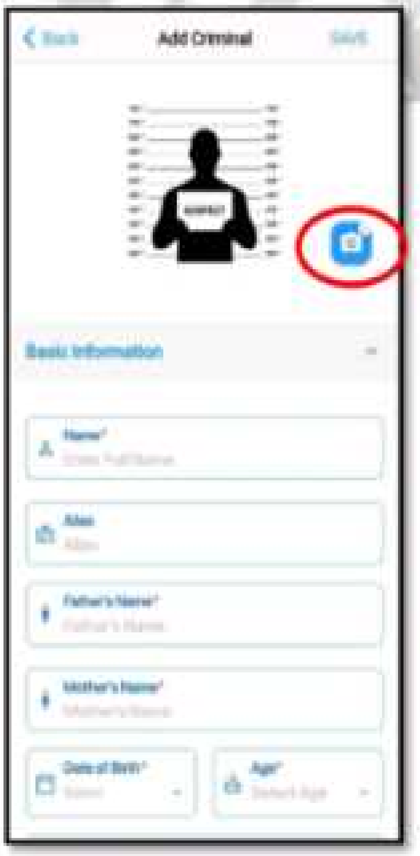

➢ यदि मिलान नहीं होता है तो **नया रिकॉर्ड बनाये (Add New Record)** पर Click करेंगे।

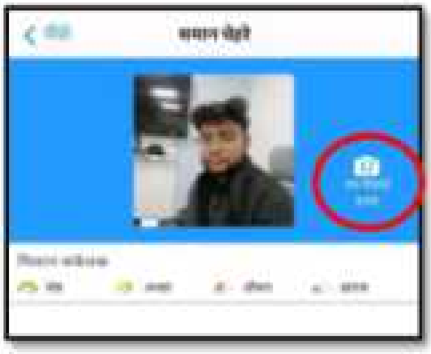

➢ तदोपरान्त अपराधी का अपराधी का विवरण निम्न स्क्रीनशॉट के अनुसार फीड करना सुनिश्चित करेंगे।

Note- ऐप में वॉयस सैम्पल अपलोड करते समय किसी प्रकार की तकनीकी कमी न हो इसको दृष्टिगत रखते हुये साक्षर एवं निरक्षर व्यक्तियों के लिये निम्नानुसार नीचे दिये गये Text को अपराधियों को पढ़कर/पढ़वाकर रिकार्ड करना सुनिश्चित करेंगे ताकि Voice Logs की गुणवत्ता बनी रहे एवं AI के माध्यम से संदिग्ध अपराधियों की आवाज मिलाई जा सके। साथ ही अन्य विवरण एवं एक से दो मिनट तक का वॉयस सैम्पल ऐप में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अपलोड करेगा।

साक्षर व्यक्ति से पढ़वाया जाने वाला Text	निरक्षर व्यक्ति से बुलवाया जाने वाला Text
मेरा नाम ____ है। मेरे पिता का नाम ____ है। मैं ग्राम ____ का/ कि निवासी हूँ। यह गाँव थाना ___, जनपद ____, राज्य _____ के अंतर्गत आता है। मेरे परिवार में कुल ____ भाई हैं। इनमें से ___ मुझसे बड़े हैं और __ मुझसे छोटे हैं। मेरे परिवार में कुल ____ बहनें हैं। मेरा मोबाइल नंबर ____ है। मैं विवाहित हूँ। मेरी पति/पत्नी का नाम ____ है।	**(30 सेकेण्ड का ऑडियो अवश्य रिकार्ड कर अपलोड करने की कार्यवाही की जाये)**

➢ उक्त के अपराधी के एफआईआर से सम्बन्धित जानकारी निम्न स्क्रीनशॉट के अनुसार फीड करना सुनिश्चित करेंगे।

➢ उक्त के पश्चात अपराधी का आपराधिक विवरण की जानकारी निम्न स्क्रीनशॉट के अनुसार फीड करना सुनिश्चित करेंगे।

➢ जब अपराधी की सारी डिटेल भर जायेगी उसके पश्चात सहेंजे पर Click करेंगे तो, तो अपराधी का विवरण फीड हो जायेगा और साथ ही एक QR कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा, जिसे उस FIR के साथ बरामद हुयी सम्पत्ति पर चस्पा कर सकते हैं। जिससे भविष्य में उस QR कोड को स्कैन कर के जब्त हुई वस्तु के बारे में और उससे संबंधित FIR के बारे में आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके।

नोट- थाना स्तर पर नये अभियुक्त जोड़ने पर उसका विवरण (फोटो, वॉयस एवं अन्य जानकारी) स्वत: डीसीआरबी को सत्यापन हेतु पोर्टल पर लंबित प्रदर्शित होगा। डीसीआरबी प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अभियुक्त की जानकारी सही हो, फोटो/वॉयस की गुणवत्ता उच्च हो, सभी कॉलम पूर्ण हों तथा जब्ती विवरण व QR कोड जनरेट किया गया हो। समस्त जानकारी चैक करने के बाद यदि कतिपय कमियां हो, तो डीसीआरबी प्रभारी सम्बन्धित थाना प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर कमियां को पूरा कराते हुये 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

2- विभिन्न स्तरों से बैकएण्ड में अपलोड किये गये अपराधियों के थाना, गांव/मोहल्ला अपडेशन की कार्यवाही-

यक्ष ऐप में त्रिनेत्र, सीसीटीएनएस, पहचान ऐप में वर्तमान में उपलब्ध अपराधियों का डाटा मुख्य ऐप में बैकएण्ड से अपलोड कर दिया गया है। प्रदेश में GRP के कुल 36,302 अपराधी डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो रहें है, **जिनमें से कुछ अपराधियों के पते में थाना, गांव/मोहल्ला की जानकारी अपूर्ण है ।** जब अपराधी के विवरण थाना, गांव/मोहल्ला की जानकारी फीड नहीं की जायेगी, तब तक वह अपराधी सम्बन्धित बीट कर्मी को अपराधी सत्यापन हेतु प्रदर्शित नहीं होगा । इस सम्बन्ध में थाना प्रभारी का दायित्व होगा कि जिन अपराधियों के पते में थाना, गांव/मोहल्ला की जानकारी अपूर्ण उनको Update कराने की प्रक्रिया पूर्ण करा लें ।

GRP थाना स्तर से Criminal Address में थाना, गांव/मोहल्ला अपडेट करने की कार्यवाही की जायेगी। GRP थाना स्तर से URL- yaksh.ai के द्वारा Yaksh Web Dashboard खोलकर थाना प्रभारी के CUG नम्बर से लॉगिन करते हुये कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। **Criminal Address में थाना, गांव/मोहल्ला अपडेट करने की प्रक्रिया निम्नवत है-**

- सबसे पहले Dashboard में **View All Criminal Record/सभी आपराधिक रिकार्ड देखें** option पर Click करना होगा, स्क्रीनशॉट निम्नवत है-

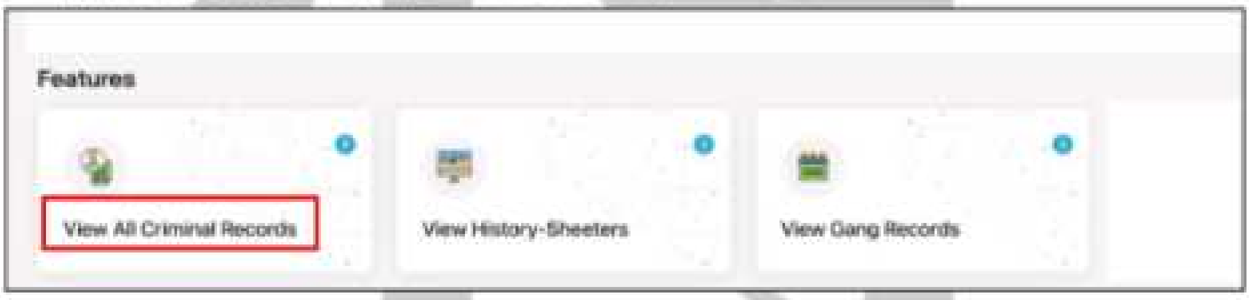

- उसके पश्चात **Based on FIR Thana/ FIR थाने के आधार पर** के option पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-

- **Based on FIR Thana/ FIR थाने के आधार पर** के option पर Click करेंगे तो **आपके थाने के अपराधियों की सूची** प्रदर्शित होगी। स्क्रीनशॉट निम्नवत है-

➢ **अपराधी के नाम पर Click** करने पर उसकी प्रोफाइल खुल जायेगी। स्क्रीनशॉट निम्नवत है-

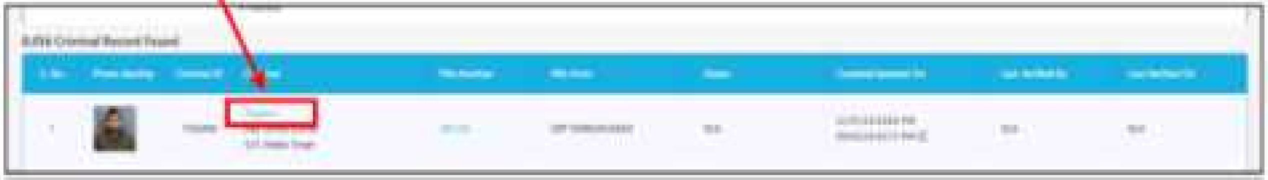

➢ तदोपरान्त अपराधी की प्रोफाइल को नीचे Scroll करते हुये **Address Details/पता विवरण** section में जायेंगे और **Edit की** बटन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीनशॉट निम्नवत है-

➢ अपराधी का सही और पूरा पता दर्ज करते हुये अपडेट करें बटन पर Click करेंगे तो अपराधी की पता अपडेट हो जायेगा और वह सम्बन्धित थाने में सत्यापन हेतु प्रदर्शित होने लगेगा।

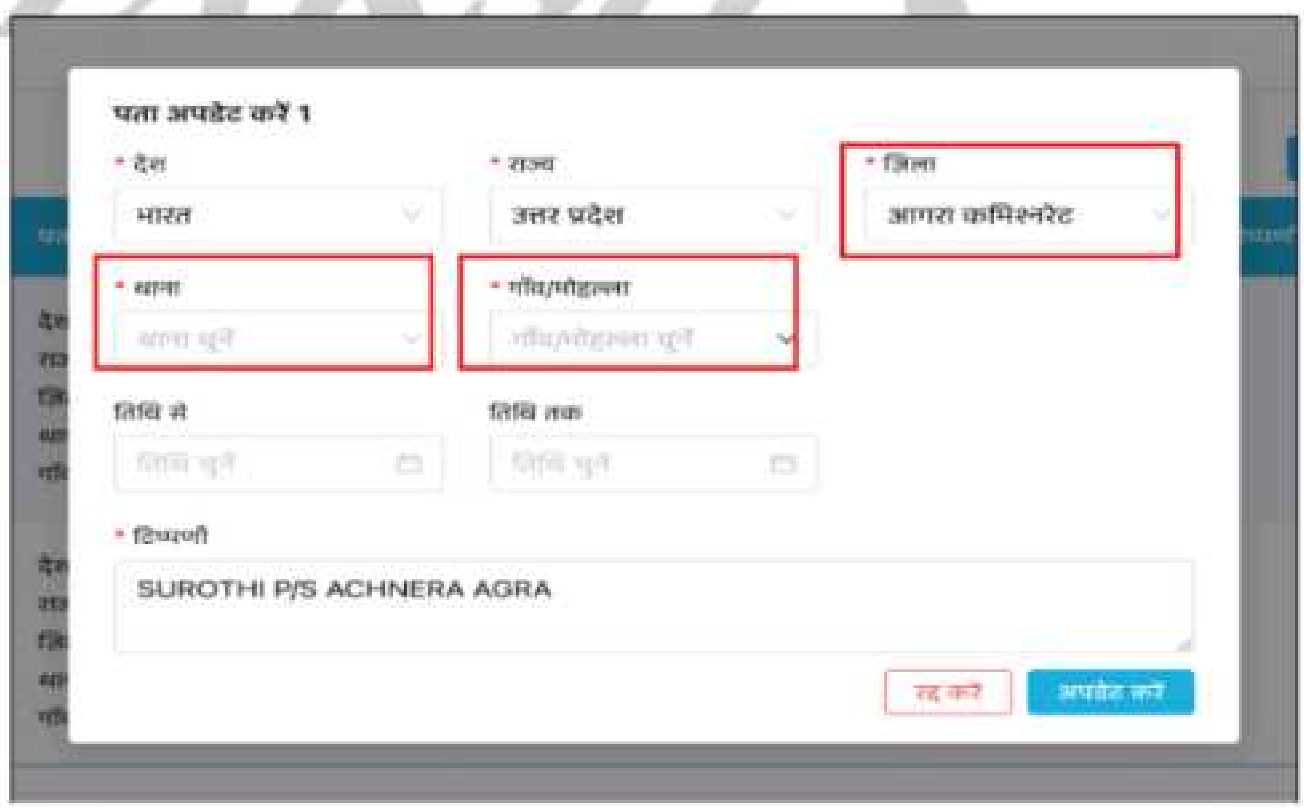

➢ अपराधी का सही और पूरा पता दर्ज करते हुये अपडेट करें बटन पर Click करेंगे तो अपराधी की पता अपडेट हो जायेगा और वह सम्बन्धित थाने में सत्यापन हेतु प्रदर्शित होने लगेगा।

3- हिस्ट्रीशीटर मार्क करने की कार्यवाही-

जीआरपी थाना से हिस्ट्रीशीटर मार्क की जाने वाली कार्यवाही जनपदीय थाना के समान है। हिस्ट्रीशीटर मार्क करने के सम्बन्ध में **डीजी परिपत्र संख्या 09/2026 (यक्ष परिपत्र संख्या 05/2026)** के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।)

GRP DCRB स्तर से की जाने वाली कार्यवाही

1- **GRP DCRB स्तर पर GRP थाने से फीड होने वाली अपराधियों के सत्यापन की कार्यवाही।**

2- **GRP DCRB स्तर पर पूर्व के गैंग रिकार्ड एवं नये गैंग रिकार्ड जोड़ने की कार्यवाही।** (यक्ष ऐप में गैंग रिकार्ड में अभियुक्त जोड़ने की कार्यवाही के दौरान कोई अभियुक्त View Criminal Record में प्रदर्शित न हो। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अभियुक्त के FIR थाने से उस अभियुक्त की ID Create कराते हुये अभियुक्त को जोड़ा जायेगा और जोड़े जाने के उपरान्त DCRB द्वारा उक्त अभियुक्त का Approval करते हुये गैंग में जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी।)

Note- GRP DCRB स्तर से की जाने वाली कार्यवाही जनपदीय DCRB के समान है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत डीजी परिपत्र संख्या 06/2026 (यक्ष परिपत्र संख्या 04/2026) के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी थाना प्रभारी, डीसीआरबी प्रभारी एवं अन्य उच्च पर्यवेक्षण अधिकारियों की सूची जो उपलब्ध करायी गयी थी उसके अनुसार डैशबोर्ड एवं ऐप का ACCESS आपको प्रदान किया जा रहा है।

GRP थाना / क्षेत्राधिकारी कार्यालय / पुलिस अधीक्षक कार्यालय / DIG, IG कार्यालय एवं मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर/कम्प्यूटर भिज्ञ कर्मी को नामित करते हुये उनका नाम, पद नाम व मो0न0 अपराध शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित यक्ष कण्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि GRP स्तर पर आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कण्ट्रोल रूम के माध्यम से कराया जा सके।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सामूहिक प्रयासों से प्रदेश में यक्ष ऐप का सफल क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।

भवदीय,

12/2

(राजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर पुलिस महानिदेशक रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।